

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक {म।०}।  
18 पार्क रोड, लखनऊ ।

पत्रांक: अर्थ/

197-98 दिनांक: 13/11/97

विषय:-

सेन्ट आर०सी०सी०कान्वेन्ट स्कूल, निकट न्यु मण्डी स्थल,  
शामली {मु०नगर} को सी०बी०एस्०ई०नई दिल्ली से सम्बद्धता  
हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण 6-9-97  
को किया गया। निरीक्षण के समय पाई गई कमियों की सूचना विद्यालय  
को दी गई। प्रबन्धक द्वारा कमियों का निराकरण अपने पत्र दिनांक  
22-10-97 द्वारा प्रस्तुत किया है।

अतः विद्यालय की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्नकों सहित  
दो-दो प्रतियों में प्रेषित है।

महदीय

{जी०पी०दिनकर}  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृष्ठांक संख्या-अर्थ/ 14690-91

197-98 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबन्धक, सेन्ट आर०सी०सी०कान्वेन्ट स्कूल, शामली  
{मु०नगर} को सूचनार्थ प्रेषित।

{जी०पी०दिनकर}  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
प्रथम मण्डल, मेरठ ।



17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निगत किये जायेंगे, तैय्या उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिष्कारों में रखा जायेगा ।

19। उक्त भागों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैय्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैय्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूरक या शिक्षता जरूरी आ रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनावर्तित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

अशोक गाँधी।  
संयुक्त सचिव ।

पुं० सं० 3785111/15-7-1998 तदुद्दिनांक  
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जिला निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- भारतीय संयुक्त जिला निदेशक, सहारनपुर ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ।

4- निरीक्षक, जॉबल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, गे० अरुणो० सांस्कृतिक कलेज स्कूल शाखा मुजफ्फरनगर ।

आप्त है,

*(Handwritten Signature)*

अशोक गाँधी।  
संयुक्त सचिव ।